डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 384/2022 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

सुरजीत सिंह पुत्र श्री दरबारा सिंह जाति बाजीगर निवासी गंधेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ, राजस्थान।

–वादी

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) रावतसर, तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–प्रतिवादी

उपस्थितः– श्री विनोद कुमार स्वामी वकील–वादी

पेरोकार राज–प्रतिवादी

निर्णय दिनांक–09.04.2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री विनोद कुमार स्वामी वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व रावतसर उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि रोही मौजा चक नम्बर 1 पी.पी.एम. के खाता संख्या 105/60(16) के किला नम्बर 3 की 0.2530 हैक्टेयर में से 1/11हिस्सा कृषि भूमि में दर्ज वादी का नाम सरजीतसिंह पुत्र दरबारासिंह व रोही मौजा गन्धेली बारानी के खाता संख्या 263/264 के पत्थर नम्बर 230/439(277) के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.3250 हैक्टेयर में से 1/2हिस्सा कृषि भूमि में दर्ज वादी का नाम सितासिंह पुत्र दरबारासिंह तथा चक नम्बर 1 पी.पी.एम. के खाता संख्या 145/134 के पत्थर नम्बर 219/442(16) के किला नम्बर 16/2 की 0.240 हैक्टेयर, किला नम्बर 25/2 की 0.2280 हैक्टेयर कुल 0.4680 हैक्टेयर में दर्ज वादी का नाम सरजीतसिंह पुत्र दरबारासिंह के स्थान पर सुरजीतसिंह पुत्र दरबारासिंह दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.04.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.05.09 14:41:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner